कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/SIQE/आंगनबाडी/2018/ 1093-1106 दिनांक : 16.10.18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय :— आंगनबाडी केन्द्रों की प्री—प्राईमरी कक्षाओं की प्रभावी मोनिटरिंग के क्रम में।

प्रसंग :— प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्रांक रास्कूशिप/ ईसीसीई/2018.09 /6793 दिनांक 25.09.2018

स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के समन्वित विद्यालयों (जहां कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं भी संचालित होती है) के पर्यवेक्षण में आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सभी समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जहां प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती है) की देखरेख में आंगनबाडी केन्द्रों पर प्री—स्कूल एज्यूकेशन का भी प्रभावी संचालन किया जायेगा ताकि गुणवतापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, प्राथमिक कक्षाओं का सुदृढ़ीकरण तथा आंगनबाडी केन्द्रों के द्वारा दी जा रही अन्य सेवाओं के सुधार में सहायक सिद्ध हो सके।

आंगनबाडी केन्द्रों को समीपस्थ विद्यालयों में स्थानान्तरित किया चुका है। इन केन्द्रों का वेहतर पर्यवेक्षण एवं मोनिटरिंग कर गुणवता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को सुनिश्चित किया जाना है। अतः समन्वित विद्यालयों के माध्यम से उनके आस पास स्थित आंगनबाडी केन्द्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समन्वित राउमावि/मावि/उप्रावि द्वारा संलग्न पत्र के अनुसार दिशा निर्देशानुसार प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास, जयपुर के आदेशों की अनुपालना की जानी है।

अतः समस्त संस्था प्रधान/पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभारी/मेंटर टीचर/आंगनबाडी कार्यकर्त्ता/महिला सुपरवाईजर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये संलग्न पत्रानुसार कर्त्तव्यों का पालन करे। इस हेतु संभाग स्तर से प्रभावी मोनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार प्रासंगिक पत्र।

15.10.18
(नथमल डिडेल) I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

15/10
(श्याम सिहं राजपुरोहित) I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक :

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/SIQE/ आंगनबाडी/2018/

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त राजस्थान।
9. बीईईओ, समस्त ब्लॉक।
10. पीईईओ, समस्त।
11. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय।
12. कम्प्यूटर प्रभारी निदेशक, प्रा/मा शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को विभागिय वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित प्रति कार्यालय हाजा।

सहायक निदेशक (एसआईक्यूई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com